



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 431 राँची, बुधवार 12 भाद्र 1936 (श०)  
3 सितम्बर, 2014 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

संकल्प

2 सितम्बर, 2014

विषय:-राज्य कर्मियों पर निन्दन की सजा का प्रभाव।

**संख्या-8823**--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-5502, दिनांक-17 मई, 1982 द्वारा यह निर्णय संसूचित है कि -

“किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल-चूक के कारण ‘निन्दन’ की सजा दी जाती है, उस ‘निन्दन’ का उनकी सम्पुष्टि, दक्षता-रोक पार करने तथा प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष से अगले तीन वर्षों तक कुप्रभाव रहेगा।”

2. कार्मिक, प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-1698 दिनांक-18 फरवरी, 2012 में भी ‘निन्दन’ की सजा के प्रभाव का उल्लेख करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि “अन्य दण्डों के प्रभाव के अनुरूप ‘निन्दन’ का प्रभाव उत्तरव्यापी (Prospective Effect) होगा।”

3. राज्य सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य में भी सेवाशर्त लागू करने का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के दिशा निदेश संख्या- F.No. 4/3/2005-AIS में यह प्रावधानित है कि "The currency of CENSURE is taken as one year from the date from which it is imposed."

4. अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-5502, दिनांक-17 मई, 1982 एवं संकल्प संख्या-1698 दिनांक-18 फरवरी, 2012 में उल्लिखित 'निन्दन' की सजा का प्रभाव अब तीन वर्षों के स्थान पर एक वर्ष का होगा।

संकल्प के प्रावधान इसके निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त माने जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।

-----